"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 388] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014— आषाढ़ 31, शक 1936

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 31, शक 1936)

क्रमांक-8058/विधान/2014. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014 (क्रमांक 16 सन् 2014) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 16 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2014

वित्तीय वर्ष 2014-2015 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. 1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य की संचित निधि में से 11,56,75,47,600 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए एक हजार एक सौ छप्पन करोड़ पचहत्तर लाख सैंतालीस हजार छः सौ मात्र रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)		निम्नलिखित से अनधिक राशियां (3)		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,76,00,000	3,20,100	3,79,20,100
03	पुलिस	राजस्व	73,39,75,300	0	73,39,75,300
		पूंजी	1,50,00,000	0	1,50,00,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,01,00,000	0	1,01,00,000
05	जेल	राजस्व	29,00,000	0	29,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,38,88,000	0	6,38,88,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,94,00,000	0	3,94,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	1,00,00,100	0	[illegible]00.00,100
		पूंजी	13,50,00,000	0	13,50,00,000
10	वन	राजस्व	81,85,000	28,32,000	1,10,17,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,15,13,05,000	0	1,15,13,05,000
		पूंजी	1,25,00,00,000	0	1,25,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	31,30,51,000	0	31,30,51,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,24,05,000	0	4,24,05,000
16	मछली पालन	राजस्व	1,00,77,000	0	1,00,77,000
18	श्रम	राजस्व	100	0	100
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	400	0	400
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,12,06,100	0	4,12,06,100
		पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	0	0	0
		पूंजी	6,00,00,200	4,92,87,000	10,92,87,200
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	66,69,000	0	66,69,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	3,40,00,000	0	3,40,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	95,00,000	0	95,00,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	99,00,000	0	99,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास से संबंधित व्यय.	राजस्व	16,25,83,600	0	16,25,83,600
		पूंजी	55,00,00,000	0	55,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	56,00,000	0	56,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,20,13,700	0	1,20,13,700
		पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,49,28,66,800	0	1,49,28,66,800
		पूंजी	1,61,00,01,000	0	1,61,00,01,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	40,00,100	0	40,00,100
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	पूंजी	1,00,00,000	0	1,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	9,78,40,300	0	9,78,40,300
		पूंजी	100	0	100
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	9,38,81,200	0	9,38,81,200
		पूंजी	1,58,76,000	0	1,58,76,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	15,00,000	0	15,00,000
53	अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	पूंजी	12,00,00,000	0	12,00,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	15,87,00,000	0	15,87,00,000
		पूंजी	100	0	100
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	1,11,39,400	0	1,11,39,400
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	39,29,87,600	0	39,29,87,600
		पूंजी	50,60,00,300	0	50,60,00,300
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	12,00,100	0	12,00,100
		पूंजी	24,00,000	0	24,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
		पूंजी	10,05,80,800	0	10,05,80,800
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,50,00,100	0	1,50,00,100
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी.	राजस्व	29,67,00,000	0	29,67,00,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,00,00,000	0	1,00,00,000
		पूंजी	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	36,10,75,000	0	36,10,75,000
		पूंजी	5,00,00,000	0	5,00,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
		पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	10,00,00,000	0	10,00,00,000
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता.	पूंजी	38,00,00,000	0	38,00,00,000
	योग -	राजस्व	**5,77,52,49,400**	**31,52,100**	**5,77,84,01,500**
		पूंजी	**5,73,98,59,100**	**4,92,87,000**	**5,78,91,46,100**
	वृहद योग		**11,51,51,08,500**	**5,24,39,100**	**11,56,75,47,600**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,

दिनांक 21 जुलाई, 2014

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.